न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 126/2018
GCMS NO. : 2018/00290

–: प्रार्थीगण :– **बनाम** **–: अप्रार्थीगण :–**

1. भैराराम पुत्र नैनाराम
   जाति कुमावत
2. बाबूलाल पुत्र घीसाराम
3. मदनलाल पुत्र घीसाराम
4. केसरी पत्नी घीसारम
5. भंवरलाल पुत्र हेमाराम
6. रामलाल पुत्र हेमाराम
7. पानकी पत्नी हेमाराम
8. बिरदाराम पुत्र मोतीराम
9. घीसाराम पुत्र मोतीराम
10. उगराराम पुत्र छोगाराम
11. धर्माराम पुत्र छोगाराम
12. लक्ष्मणरम पुत्र छोगाराम
13. बालूराम पुत्र गुदडराम
14. गेपरराम पुत्र गुदडराम
15. पाबूराम पुत्र गुदडराम
16. पूनाराम पुत्र गुदउराम
17. लाबुराम पुत्र गुदउराम
18. शिवा पुत्र गुदडरम फौत के
    कायम मुकाम
    18/1– ओमप्रकाश पुत्र शिवा
19. लालाराम पुत्र बिरदाराम
20. रतनलाल पुत्र बिरदाराम
21. ओमप्रकाश पुत्र बिरदाराम
22. पन्नालाल पुत्र बिरदाराम
23. मांगू पुत्र हजारीराम
24. बींजा पुत्र हजारीराम
    सभी जातियान– कुम्हार,
    निवासीगण–बलून्दा,
    तहसील–जैतारण,
    जिला–पाली राज0।

1. शांति पत्नी लक्षमणराम जी
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्षमणराम फौत के
   कायम मुकाम –
   2/1 – सुशिला पत्नी ओमप्रकाश
   2/2 – अनिल पुत्र ओमप्रकाश
3. नेमीचंद पुत्र लक्षमणराम
   जातियान– गुरू
4. जैराराम पुत्र मोतीराम जाति– कुम्हार
   सभी निवासीगण बलून्दा तहसीलदार
   जैतारण जिला पाली राज0।
5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.10/05/2016**

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:04:27 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– **दिनांकः– 2372/2020**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2072 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

6-01 बीघा, खसरा नम्बर 2082 रकबा 5-14 बीघा, खसरा नम्बर 2071 रकबा 4-12 बीघा, खसरा नम्बर 2066 रकबा 15-11 बीघा, खसरा नम्बर 2070 रकबा 9-10 बीघा, खसरा नम्बर 2065 रकबा 14-09 बीघा, खसरा नम्बर 2081 रकबा 19-05 बीघा, खसरा नम्बर 2133 रकबा 17-15 बीघा, खसरा नम्बर 2093 रकबा 10-06 बीघा, खसरा नम्बर 2083 रकबा 15-11 बीघा, खसरा नम्बर 2087 रकबा 4-02 बीघा, खसरा नम्बर 2086 रकया 17-17 बीघा, खसरा नम्बर 2092 रकबा 12-17 बीघा, आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की अलग अलग एवं संयुक्त रूप से खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने हक हिस्सेअनुसार मौके पर कब्जा व काश्त है एवं उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जो कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित है, में जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 2075 रकबा 4-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 2073 रकवा 4-08 बीघा एवं खसरा नम्बर 2074 रकबा 3-01 बीघा के बीच में स्थित माठ के सहारे होकर के निकलता है। नकल जमाबंदी अप्रार्थीगण की व नकशा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे।। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जो वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित है, उसमें जाने के लिए मुख्य सड़क जो कि जैतारण से मेड़ता जाती है उसके पूर्वी दिशा में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन आई हुई है, जिसमें वर्षो से खसरा नम्बर 2075, 2073, 2074 की माठ से प्रार्थीगण आते जाते व अपनी आराजी का उपयोग उपभोग खडाई बुवाई व कटाई करते है एवं काश्त हेतु अपने वाहन ट्रेक्टर टोली छकडे हल व बैल लेकर के जाते एवं मौके पर रास्ता से भी दर्शाया हुआ भी कायम था, जो अन्तिम छोर पर स्थित खसरा नम्बर 2093 व 2133 व उससे आगे भी जाता था, जो रास्ता प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है, परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी में जाने हेतु जो रास्ता वर्षो से कायम था उसे अब खन्दक देकर बंद कर दिया। जिससे नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क है। उक्त रास्ता वर्षो से चल रहा था परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को यह कहकर के कि उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है इसलिए वह इस रास्ते को बंद कर रहे है एवं प्रार्थीगण को इधर से जाने नहीं देंगे। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं जो वर्षो से अप्रार्थीगण की आराजी की माठ से होकर के रास्ता चल रहा था उसे भी बंद कर दिया गया इसलिए रास्ता कायम कराने बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत ... किया जा रहा है। प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है तथा प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की आराजी में से होकर आपसी समझाईश से खसरा नम्बर 2075, 2073, 2074 की माठ से होकर के अपनी आराजी में आते जाते रहे है एवं अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते थे, परन्तु मौके पर अब अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने से एवं अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हाल से प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतु जो लाल स्याही से वर्णित नजरी नक्शे में रास्ता दर्शाया गया है उसे कानूनन रास्ता कायम करवाया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जावें। जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में आ जा सके। प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे को लाल रंग से मार्क ए से थी दर्शाया गया है। जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ते की घोषणा करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र सादर पेश है। प्रार्थीगण पूर्व में अपनी आराजी में जाने हेतु खसरा नम्बर 2075, 2073, 2074 की बीच की माठ से आते जाते थे परन्तु दिनांक 15.04.2016 को प्रार्थीगण अपनी आराजी की खड़ाई करने हेतु ट्रेक्टर लेकर जाने लगे तो अप्रार्थीगण ने जाने से मना कर दिया एवं ट्रेक्टर के आड़े फिर गये तथा बाद में दिनांक 18.04.2016 को उक्त रास्ते को मिट्टी की पाल लगाकर के बंद कर दिया, तब प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अपने खेत की खड़ाई व बुवाई नही कर सके। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु कई बार निवेदन किया व समझाईश की, परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने एवं अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे एवं प्रार्थीगण को कहा कि आईन्दा इस आराजी में से होकर के नहीं जावे। एवं अप्रार्थीगण ने जहां पहले रास्ता था वहां पर खन्दक लगाकर कांटों की बाड़ कर दी व रास्ता बंद कर दिया। उक्त रास्ते को खुलवाया जावें व राजस्व रेकर्ड में रास्ता कायम किया जावें। प्रार्थीगण जो कि अप्रार्थीगण की आराजी में से होकर के पूर्व में अपनी आराजी में आते जाते व उसका उपयोग करते। वर्तमान में अप्रार्थीगण उसको आने जाने नहीं दे रहे है। यदि प्रार्थीगण को उनकी आराजी में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी आराजी में काश्त नहीं कर सकेगें। प्रार्थीगण सभी काश्तकार है जिनका सम्पूर्ण जीवन कृषि पर ही आधारित है। यदि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की बुवाई नहीं कर सके तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। मौके पर प्रार्थीगण को रास्ता नहीं मिला और अप्रार्थीगण जबरन उसको अपनी आराजी में जाने से रोकेगे, तो विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडंग्स होगी, तब प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र सादर पेश है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में जाने हेतु जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी में लाल रंग से जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है। उस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने के लिए लगने वाला नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण को अपने आराजी में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होनें से प्रार्थनापत्र सादर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गयो। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से निम्नलिखित है कि– प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार अलग अलग खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण की खातेदरी व कब्जा काश्त सुदा होने के तथ्यों को प्रार्थीगण स्वयं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संकलित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 2075, 2074 या 2073 की भूमि से होकर के नहीं निकलता है। वक्त सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक खसरा नम्बर 2073, 2074, व 2075 की भूमि से होकर प्रार्थीगण ने न तो कभी आवागमन किया है न ही मौके पर कभी रास्ता ही रहा है। प्रार्थीगण ने पूर्णतया असत्य झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये इन तीनों खसरा नम्बरान की भूमि में अपने आवागमन का रास्ता बताया है। जो अस्वीकार है वास्तविकता में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन के रास्ते अलग से स्थित है जिसके बाबत विस्तृत जानकारी आगे विशेष विवरण में दी जावेगी। इसके अलावा इस पद में वर्णित अन्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है, प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 2073, 2074 या 2075 की भूमि से होकर के न तो कभी निकला है न ही मौके पर रास्ते जैसे कोई आलामात रहे है बल्कि प्रार्थीगण सभी के खेतों में आवागमन के रास्ता जैतारण मेड़ता सड़क के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नम्बर 2055 व खसरा नम्बर 2231 की भूमि से होकर निकलते रहे है। जिसके बाबत विस्तृत जानकारी आगे विशेष विवरण में दी जावेगी। इस प्रकार से प्रार्थीगण ने इस पद में अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अपना रास्ता कायम कराने यावत यह झूठी कार्यवाही की है मौके पर प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का रास्ता पृथक से सिवाय चक भूमियों से होकर के निकलता रहा है एवं प्रार्थीगण वहीं से सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक आवागमन करते रहे है। इस प्रकार से मौके पर प्रार्थीगण के वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थीगण ने यह निराधार कार्यवाही पेश की है। जो कतई गलत है। जब मौके पर कभी रास्ता उपलब्ध रहा ही नही तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर रास्ते को बंद कर देने का व विवाद करने का आरोप झूठा लगाया है तथा इस पद में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह कार्यवाही की है जो गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व वेबूनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 2073, 2074 व 2075 भूमि से होकर कभी नहीं निकला है न ही प्रार्थीगण ने इन खसरा नम्बरान की भूमियों से होकर के कोई आवागमन ही किया है। उसके बावाजूद भी प्रार्थीगण ने झूठा नजरी नक्शा बनाकर के इस पद में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह कार्यवाही की है जो गलत है। अप्रार्थीगण पर रास्ता अवरूद्ध कर देने का आरोप भी झूठा लगाया है। जब मौके पर अप्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता रहा ही नही है व मौके पर प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का वैकल्पिक रास्ता सिवाय चक भूमियों में होकर के उपलब्ध है, तो प्रार्थीगण इस कार्यवाही के जरिये अप्रार्थीगण की भूमि से होकर के कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण रास्ते की घोषणा करवाने के भी कतई अधिकारी नही है। इसलिए भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही खारिज योग्य होने से खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

फरमावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है जवाब देहन्दागण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2073, 2074 व 2075 से होकर प्रार्थीगण कदीम से कोई रास्ता नहीं निकला है न ही मौके पर रास्ते के कोई आलामात ही रहे है उसके बावजूद प्रार्थीगण ने झूठी कार्यवाही करने की गरज से दिनांक 18.04.2016 को खन्दक व कांटों की बाड़ करके रास्ता अवरूद्ध कर देने का झूठा आरोप लगाया गया है। बल्कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमियों में आवागमन को वैकल्पिक रास्ते मौके पर अलग से लिया है जिसको बाबत् विस्तत जानकारी आगे विशेष विवरण यह है कि प्रार्थना पत्र को पद संख्या में वर्णित कथन काराई अरात्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक प्रार्थीगण या उनके पूर्वज खसरा नम्बर 2073 2074 व 2076 की भूमि से होकर के कभी नहीं निकले है, न ही मौके पर इन तीनों खसरा नम्बरान की भूमियों से कभी कोई रास्ता चला है। न ही रास्ते को कोई मालामात है, बल्कि प्रार्थीगण के वैकल्पिक रास्ते पृथक से उपलब्ध है। जहां से होकर प्रार्थीगण ने पूर्व की भांति वर्ष 2016, 2017 व 2018 में अपनी फसले बोई व भोगी है। इसलिए प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षति होने व बाद बाहुल्यता होने के आरोप भी कतई गलत है। इसलिए भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही खारिज होने से खारिज फरमाये। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन कराई असत्य झूठे व बेबुनियाद है प्रार्थीगण ने मौका स्थिति के विपरित झूला नजरी नक्शा बनाकर के पेश किया है। नजरी नक्शे में दर्शित स्थिति मौके पर कतई नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार रास्ता कायम नहीं करवाया जा सकता है। कारण कि– प्रार्थीगण के वैकल्पिक रास्ते पृथक से स्थित है इसलिए भी प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2073, 2074 व 2076 से होकर के कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाये। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 10 में वर्णित अनुतोष प्रार्थीगण कतई असत्य झूठा व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है, इस पथ में चाहे गये अनुतोष माफिक प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2073, 2074 व 2016 से होगा अपने नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार रास्ता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत उक्त कार्यवाही खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

पटवारी पटवार हल्का ग्राम बलून्दा ने रिपोर्ट पेश कि जो सा0 मि0 है। पटवारी पटवार हल्का ग्राम बलून्दा ने रिपोर्ट में बताया कि खसरा नम्बर 2072, 2082, 2071, 2066, 2070, 2065 आदि में जाने [illegible] नम्बर 2073, 2074, 2075 में से होकर वादीगण ने रास्ता चाहा है उक्त [illegible] सम्बन्ध में मौके के अनुसार उक्त खेतों में जाने हेतू राजस्व रेकर्ड में रास्ता [illegible] वादीगण द्वारा जैतारण मेड़ता सड़क से खसरा नम्बर [illegible] से होते हुये रास्ता चाहा है। 2073, 2074 से आगे रास्ता मौके पर चल रहा है। वर्तमान में खसरा नम्बर 2073, 2073, 2075 रास्ता बन्द है। उक्त रास्ता लगभग 570 फीट गुणा 12 फीट का प्रस्तावित है। जो कि खसरा नम्बर 2073 में से 4 बिस्वा 2074 में से 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2075 में से 3 बिस्वा भूमि में से प्रस्तावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:34:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा सामिल मिसल हैं।

प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 01.06.2016 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 2073, 2074 व 2075 की सीमा के मध्य 12 फीट चौड़ा जिसका कुल रकबा 09 बिस्वा था सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करनें कि निर्देश प्रदान किए थे, जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 21.03.2018 द्वारा अपास्त करते हुए इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत् आदेश पारित करें।'' की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में माननीय अपीलीय न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखनें का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में निम्नलिखित विधिक प्रावधान हैः-

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस [illegible] को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि [illegible] सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर [illegible] द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि [illegible] होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लद्युतम या निकटतम रूट से होकर एक [illegible] मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्थल पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। हस्तगत प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट, नकल नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तावित रास्ता के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी के लिए निकटतम अभिलिखित रास्ता जैतारण– मेड़ता मुख्य सड़क मार्ग है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी एवं जैतारण–मेड़ता मुख्य सड़क मार्ग के खातेदारी आराजी एवं जैतारण–मेड़ता मुख्य सड़क र्मा के मध्य में खसरा संख्या 2073, 2074 व 2075 की आराजी स्थित है। जमाबंदी संवत् 2069–2072, ग्राम– बलून्दा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण उपर्युक्त खसराओं की आराजी के खातेदार है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में यह कथन प्रमुखता से किया है कि प्रार्थीगण का आवागमन खसरा संख्या 2073, 2074 व 2075 की भूमि से कभी नहीं रहा हैं। खसरा संख्या 2086, 2087, 2065, व 2088 के खातेदार का खसरा संख्या 2231 सिवाय चक भूमि, खसरा संख्या 2061, 2092, 2093, 21 व 33 के खातेदारान का भी खसरा संख्या 2231 सिवाय चक भूमि एवं खसरा संख्या 2068, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072 व 2082 के खातेदारान का खसरा संख्या 2055 की सिवाय चक भूमि में से होकर आवागमन होता रहा है, अतः प्राथीगण को अप्रार्थीगण की आराजी से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में प्रथम तो अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं राजस्व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अप्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि हो, द्वितीय पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा ट्रेस से भी यह स्पष्ट हैं कि प्राथीगण को जोत तक पहुँच का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा कानूनन निकटतम एवं न्यूनतम दूरी का रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है, जो कि जैतारण–मेड़ता मुख्य डामर सड़क से खसरा संख्या 2073, 2074 व 2075 की भूमि से ही हो सकता है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 2073, 2074 व 2075 की भूमि से प्रस्तावित 12 फीट चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 09 बिस्वा है, गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जाकर प्रभावित खातेदारान को प्रचलित D.L.C. दर से आनुपातिक राशि का बतौर प्रतिकर भुगतान किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारवान होनें एवं भलीभांति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की जोत से निकटतम अभिलिखित मार्ग जैतारण–मेड़ता मुख्य सड़क मार्ग से प्रार्थीगण को पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम– बलून्दा, तहसील– जैतारण के खसरा संख्या 2073, रकबा 04–08 बीघा, खसरा संख्या 2074 रकबा 03–01 बीघा एवं खसरा संख्या 2075 रकबा 04–10 बीघा में से पटवारी बलून्दा के नजरी नक्शा अनुसार जैतारण–मेड़ता मुख्य सड़क मार्ग से खसरा संख्या 2073 एवं 2075 की सीमा एवं खसरा संख्या 2073 एवं 2074 की सीमा पर A से B तक प्रत्येक खसरे में 6 फिट तथा कुल 12 फीट चौड़ी एवं 570 फीट लंबी भूमि जिसका रकबा खसरा संख्या 2073 में से 04 बिस्वा, खसरा संख्या 2074 में से 02 बिस्वा तथा खसरा संख्या 2075 में से 03 बिस्वा कुल 09 बिस्वा भूमि में से खातेदारान की अभिधृति को निर्वापित करते हुए इसे खातेदारान के रकबे में से कम करते हुए गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किसा जाता है। नजरी नक्शा आदेश का भाग होगा। उपर्युक्त खसरान् की प्रचलित वर्तमान डी0एल0सी0 दर जो 356400 रूपये प्रति बीघा है तथा स्वीकृत रास्ते की कुल राशि 09 बिस्वा की आनुपातिक प्रचलित वर्तमान डी0एल0सी0 दर 160,380 रूपये होती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रतिकर राशि प्रचलित वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दुगुनी अर्थात् 320,760 रूपये (अक्षरे तीन लाख बीस हजार सात सौ साठ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 2073, 2074 व 2075 के खातेदारान को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है।

खातेदारान द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदारान/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण,(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2020 को सर–ए–इजलास [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जैतारण,(जिला–पाली)